(४५)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी ललित मीना आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 52/17 उनवान

1. श्यामलाल आयु 72 साल पुत्र श्री मूलीराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम मूडिया ललिता तहसील वैर जिला भरतपुर। —प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र आयु 45 साल पुत्रान पूरन जातियान कुम्हार निवासी ग्राम मूडिया ललिता तहसील वैर
   जिला भरतपुर राज0
2. विशम्भर आयु 40 साल पुत्रान पूरन जातियान कुम्हार निवासी ग्राम मूडिया ललिता तहसील वैर जिला भरतपुर राज0
3. बदनसिंह आयु 65 साल पुत्र श्री गिलहारा जाति जाट निवासी ग्राम मूडिया ललिता तहसील वैर जिला भरतपुर राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब वैर, भरतपुर।

वादी अधिवक्ता :— श्री पूरनचन्द धाकड़
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता श्री पद्मेश कुमार शर्मा
प्रतिवादी संख्या 03 अधिवक्ता श्री शिवचरण लाल धाकड़

—अप्रार्थी

—दावा धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक — 16.08.2023

वादी की ओर से वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आराजी ख0न0 555 रकबा 12 बीघा 19 विस्वा वाके ग्राम मूडिया ललिता तहसील वैर जिला भरतपुर में स्थित है। जिसमें वादी रकबा 4 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रकबा 4 बीघा में वाहिस्सा बराबर के एवं प्रतिवादी संख्या 3 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। आराजी खसरा नबंर 555 रकबा 12 बीघा 19 विस्वा का विभाजन वादी श्यामलाल व प्रतिवादी 1 व 2 महेन्द्र विशम्बर के पिता पूरन एवं प्रतिवादी संख्या 3 बदनसिंह के मध्य पूर्व में ही हो गया था। जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 का खसरा नम्बर 555/1 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा का उक्त रकबे में तरफ उत्तर में एवं वादी श्यामलाल व प्रतिवादी संख्या 1व 2 के पिता पूरन का खसरा नंबर 555 रकबा 8 बीघा तरफ दक्षिण में रहा। जिसके अनुसार वे मौके पर काबिज है। उपरोक्त आराजी के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता पूरन के मध्य सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के यहां पर मुकदमा नंबर 92/2008 वा उनवानी मु. स्वरूपी

उप जिला कलक्टर
वैर (भरतपुर) राज0

बनाम मनोहरी आदि अन्य आराजियात के साथ मुकदमा चला जिसके निर्णय व डिक्री दिनांक 10.04.2014 के मुताबिक तरफ दक्षिण में शेष रहे रकबा 8 बीघा का विभाजन वाहिस्सा बराबर करते हुए तरफ पूर्व का हिस्सा वादी श्यामलाल के हिस्से जिसका खसरा नंबर 1015/555 रकबा 4 बीघा तथा तरफ पश्चिम का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 महेन्द्र विशम्भर के पिता पूरन के हिस्से जिसका खसरा नंबर 555 रकबा 4 बीघा आया और इसी प्रकार नक्शा अक्स में तरमीम कर दिया गया एवं राजस्व रिकार्ड में अलम दरामद कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के पूर्व से ही मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण ने विभाजन के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर अपनी काश्त की सुविधानुसार इम्प्रूवमेन्ट कर रखे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा समस्त ग्राम की आराजियात का सैटलमेन्ट करा दिया है, सैटलमेन्ट करते समय सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड में हो रहे इन्द्राज के मुताबिक आराजी का विभाजन नहीं करके अपनी मनमर्जी अनुसार उपरोक्त आराजी के चार नये नम्बर 555/1 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा के स्थान पर खसरा नंबर 1285 व 1286 दर्ज कर दिए जिसको नक्शा ट्रेस में आराजी के तरफ पूर्व दिशा में वादी श्यामलाल के स्थान पर दर्शाया है जबकि खसरा नंबर 555/1 का खातेदार बदनसिंह मौके पर तरफ उत्तर में काबिज है तथा आराजी खसरा नंबर 1015/555 व 555 के स्थान पर आराजी खसरा नम्बर 1287 व 1288 कायम करते हुए नक्शे में तरफ पश्चिम व तरफ उत्तर में दर्शाया है जबकि मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तरफ दक्षिण में वादी श्यामलाल खसरा नंबर 1015/555 रकबा 4 बीघा तरफ पूर्व में एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 महेन्द्र विशम्भर खसरा नंबर 555 रकबा 4 बीघा तरफ पश्चिम में काबिज है इस प्रकार सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा सैटलमेन्ट रिकार्ड में परिवर्तन करते हुए मौके व रिकार्ड के विपरीत गलत इन्द्राज कर दिए है। जिनसे वादी को सख्त हकतलफी है जो कलमजन किए जाने योग्य है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 1015/555 में चरी, ज्वार, बाजरा की फसल बोई है। जो मौके पर सरसब्ज खड़ी हुई है। दिनांक 20.07. 2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मौके पर आये और वादी की सरसब्ज खड़ी फसल को काटने को आमादा हो गये तब वादी ने उनसे खड़ी फसल को काटने को आमादा हो गये तब वादी ने उनसे खड़ी फसल को काटने से मना किया तो वे नहीं माने और वादी को खुलेआम यह धमकी दी है कि यह खसरा नंबर हमारे हिस्से में आ गया है। अब नया सैटलमेन्ट हो गया जिससे इसमें बुबी फसल को हम ही काटेंगे। यदि प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में सफल हो गये तो वादी के खातेदारी अधिकारों पर कुठारघात होगा एवं अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से द्रव्य के रूप में किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। जिससे वादी यह वाद लाकर सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा किए गये गलत इन्द्राजात को पूर्व की भांति हो रहे विभाजन के अनुसार दुरूस्त कराकर अपने अधिकारों की घोषणा कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न तरीके से डिक्री फरमाया जावे। यह घोषित फरमाया जावे कि वादी साबिक खसरा नंबर 555 रकबा 12 बीघा 19 विस्वा में से हाल खसरा नंबर 1285 व 1286 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा में से तरफ दक्षिण पूर्व की ओर रकबा 4 बीघा का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा अक्स में अकंनकर तरमीम किया जावे। साबिक आराजी खसरा नंबर 555 रकबा 12 बीघा 19 विस्वा वाके ग्राम मूडिया ललिता तहसील वैर में सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में किए

उप जिला कलक्टर
वैर (भरतपुर) राज.

गये विधि विरूद्ध गलत इन्द्राजात खसरा नंबर 1285,1286,1287,1288 को कलमजन कर पूर्व में हो रहे कानूनी विभाजन के अनुरूप वादी का तरफ, दक्षिण पूर्व में रकबा 4 बीघा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तरफ दक्षिण पश्चिम में रकबा 4 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 3 तरफ उत्तर में रकबा 4 बीघा 19 विस्वा का राजस्व रिकार्ड व नक्शा अक्स में तरमीम कराया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 व 03 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जो तामील पत्रावली है। वादी के द्वारा अपने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 नक्शा ट्रेस संवत् 1985, नक्शा ट्रेस सन् 2005 नकल भू–प्रबन्ध विभाग किता 03 नकल नामान्तकरण संख्या 1737, नकल जमाबंदी संवत् 2011 से 2014 किता 02 पेश किये गये हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 29.08.2022 को न्यायालय के समक्ष हाजिर अदालत होकर राजीनामा में नक्शा पेश किया गया। उक्त राजीनामा शामिल पत्रावली किया जाकर राजीनाम प्रस्तुत किया गया तथा तहसीलदार वैर को राजीनामा व नक्शे की फोटोप्रति दी जाकर मौका व रिपोर्ट की स्थिति की तहरीर जारी की गई जिस पर कार्यालय तहसीलदार वैर द्वारा क्रमांक/एलआर/23/1525 दिनांक 12.06.2023 के माध्यम से जांच रिपोर्ट में मौका पर्चा व नक्शा न्यायालय में दिनांक 28.06.2023 को पेश किया गया जिसके मुताबिक रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 ऑनलाइन वाके ग्राम मूंडिया ललिता तहसील वैर निम्न प्रकार से हैं– आराजी खसरा नंबर 1287 रकबा 0.42 हैक्टेयर व 1437/1288 रकबा 0.23 किता 02 रकबा 0.65 हैक्टेयर में महेन्द्र पुत्र पूरन जाति कुम्हार (प्रजापत) साकिन देह हिस्सा 1/2 मूडिया ललिता खातेदार व विशम्भर पुत्र पूरन जाति कुम्हार (प्रजापत) साकिन देह हिस्सा 1/2 मूडिया ललिता खातेदार एवं आराजी खसरा नंबर 1438/1288 रकबा 0.64 हैक्टेयर का श्यामलाल पुत्र मूली जाति कुम्हार (प्रजापत) साकिन देह खातेदार तथा आराजी खसरा नंबर 1285 रकबा 0.65 हैक्टेयर, 1286 रकबा 0.15 हैक्टेयर किता 02 रकबा 0.80 हैक्टेयर का बदनसिंह पुत्र गिल्हारा जाति जाट साकिन देह खातेदार रहन पी.एन.बी हलैना के अनुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदारान का मौका पर्चा दिनांक 05.04.2023 की पुश्त पर नक्शे के अनुसार स्थिति एवं मौके के अनुसार स्थिति का मानचित्र बनाये गये हैं। मौके पर मौके के अनुसार बनाये गये मानचित्र अनुसार काश्तकारों ने आपसी मनबट कर रखे हैं। इसी प्रकार से खसरा नंबरान को सही करना चाहते हैं जो मौका पर्चा की पुश्त पर प्रस्तावित लाल स्याही से दर्शाये गये हैं। जिस पर उक्त वाद के उभयपक्षकारान के द्वारा कोई भी आपत्ति पेश नहीं की गई।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस इत्यादि एवं राजीनामा दिनांक 29.08.2022 तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार वैर का भलीभांति अवलोकन किया गया। पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा

उप जिला कलक्टर
वैर (भरतपुर) राज॰

मुताबिक राजीनामा मय नक्शा व जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न मौके के अनुसार दर्शित नक्शा जो लाल स्याही से दर्शाया गया है के अनुसार सन् 2005 नक्शा ट्रेस में विवादित आराजियात का पक्षकारान के खातेदारी अनुसार दर्शित करने के लिए निवेदन किया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद वरविनाय राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है। उक्त वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा मय नक्शा व जांच रिपोर्ट तहसीलदार वैर के साथ संलग्न मौका पर्चा की पुश्त पर दर्शित नक्शा मौके के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1287 रकबा 0.42 हैक्टेयर, 1437/1288 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 1438/1288 रकबा 0.64 हैक्टेयर, 1285 रकबा 0.65 हैक्टेयर, 1286 रकबा 0.15 हैक्टेयर वाके ग्राम मूंडिया ललिता तहसील वैर जिला भरतपुर का सन् 2005 नक्शा शीट में तरमीम किया जावे तथा राजीनामा दिनांक 29.08.2022 व जांच रिपोर्ट तहसीलदार वैर दिनांक 12.06.2023 डिक्री का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ललित मीना)
उपखण्ड अधिकारी
वैर(भरतपुर)